प्रारंभिक परीक्षा

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

संदर्भ

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को कर से छूट प्रदान की है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के बारे में -

- **यह जल शक्ति मंत्रालय, (भारत सरकार) के तहत एक प्राधिकरण के रूप में पंजीकृत है।**
- यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) के कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता था, जिसे **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम** (**EPA**), 1986 के तहत गठित किया गया था।
- **NGRBA** को 7 अक्टूबर 2016 को भंग कर दिया गया था और इसे गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद (जिसे राष्ट्रीय गंगा परिषद कहा जाता है) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
- **NMCG का उद्देश्य:**
    - गंगा नदी के प्रदूषण में प्रभावी कमी और कायाकल्प सुनिश्चित करना|
    - जल की गुणवत्ता और पर्यावरणीय रूप से सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह बनाए रखना।
- **क़ानूनी प्रावधान**:
    - **NMCG** को अब **आयकर अधिनियम**, **1961 की धारा 10 के खंड 46A** के तहत अधिसूचित किया गया है।
    - खंड **46A** विशिष्ट उद्देश्यों के लिए केंद्रीय/राज्य अधिनियमों के तहत स्थापित निकायों, प्राधिकरणों, बोर्डों, ट्रस्टों या आयोगों को आयकर छूट की अनुमति देता है।

राष्ट्रीय गंगा परिषद -

- **इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) का स्थान लिया।**
- **अध्यक्ष**: प्रधानमंत्री।
- **सदस्य**: पांच गंगा बेसिन राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और कुछ केंद्रीय मंत्री।
- इसे गंगा और उसकी सहायक नदियों सहित गंगा नदी बेसिन के प्रदूषण की रोकथाम और कायाकल्प की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- इसका गठन **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम** (**EPA 1986**) के तहत किया गया है।

स्रोत: Indian Express - NMCG

रेड क्राउन्ड रुफ्ड टर्टल(Red-crowned roofed turtles)

संदर्भ

हाल ही में उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में **20 रेड क्राउन्ड रुफ्ड टर्टल** को पुनः लाया गया।

रेड क्राउन्ड रुफ्ड टर्टल के बारे में -

- **यह मीठे पानी की कछुआ प्रजाति है, और यह स्थलीय प्रजनन स्थलों के साथ गहरी बहने वाली नदियों में पाया जाता है।**
- यह प्रचुर जलीय वनस्पति के साथ स्वच्छ, अप्रदूषित नदी पारिस्थितिकी तंत्र को पसंद करता है।
- **यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश की मूल प्रजाति है।**
- मीठे पानी की नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के **जैव संकेतक** के रूप में कार्य करता है।
- **जंगल में वर्तमान निवास स्थान**: चंबल नदी (चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य)
- **भौतिक विशेषताएं**
  - नर का आकार बहुत छोटा होता है (मादा के आकार का लगभग आधा)।
  - प्रजनन के मौसम के दौरान नर के सिर पर चमकीला लाल रंग विकसित हो जाता है।
  - इसमें एक मजबूत कील्ड कार्पेस (keeled Carpace) होता है।
- **संरक्षण स्थिति**:
  - **IUCN:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त
  - **CITES:** परिशिष्ट I
- **प्रमुख खतरे**: आवास की क्षति, अवैध मछली पकड़ने के जाल में डूबना, रेत खनन, अवैध शिकार आदि।

स्रोत: **Hindustan Times - Red crown turtle**

ग्रीनहाउस गैसों उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य नियम, 2025

संदर्भ

केंद्र सरकार ने ऊर्जा-प्रधान क्षेत्रों और उद्योगों में "बाध्यकारी संस्थाओं" द्वारा ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में कमी के लिए लक्ष्य पेश करते हुए मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) -

- **GHG वे गैसें हैं जो वायुमंडल में ऊष्मा को रोकती हैं और "ग्रीनहाउस प्रभाव" में योगदान करती हैं जो पृथ्वी पर सतह के तापमान को बढ़ाती है।**
- **GEI उत्पाद उत्पादन की प्रति इकाई उत्सर्जित GHG की मात्रा को संदर्भित करता है।**
- **इसे मापा जाता है: tCO2e** (टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य)।
  - यह सभी ग्रीनहाउस गैसों का उनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के आधार पर आकलन करता है।
- **जीएचजी में शामिल हैं**:
  - **प्राकृतिक**: जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), मीथेन (CH_4), नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O), ओजोन (O_3)।
  - **सिंथेटिक**: क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs), हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFCs)।

GEI लक्ष्य नियमों के मसौदे के प्रमुख प्रावधान -

- **आधार वर्ष:** 2023-24।
- **कटौती लक्ष्य निर्धारित**: 2025-26 और 2026-27।
- **कवरेज**: अत्यधिक ऊर्जा-गहन क्षेत्र।
- **कवर किए गए उद्योग**: 4 क्षेत्रों में 282 औद्योगिक इकाइयाँ।
- **अनुपालन और दंड**:
  - उद्योगों को निर्धारित जीईआई कटौती लक्ष्य को पूरा करना होगा।
  - गैर-अनुपालन के लिए दंड लागू होगा।
  - नियमों को **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** (**CPCB**) द्वारा लागू किया जाएगा।
- **GEI लक्ष्य उद्योगों की किस प्रकार मदद करेंगे:**
  - उद्योगों को स्पष्ट रूप से पता होगा कि उन्हें उत्सर्जन में कितनी कटौती करनी है।
  - कटौती हासिल करने वाले उद्योग कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं।
  - कार्बन क्रेडिट को अन्य उद्योगों को बेचा जा सकता है या अपने स्वयं के दायित्वों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **GEI लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व:**
  - GEI लक्ष्य उद्योगों को **कम कार्बन वृद्धि** की ओर ले जाएगा।
  - यह पेरिस समझौते की प्रतिबद्धता का समर्थन करेगा। भारत का लक्ष्य 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है (2005 के स्तर की तुलना में)।
  - उद्योग स्वच्छ ईंधन (जैसे, कोयले से बायोमास पर स्विच करना) और ऊर्जा-कुशल विनिर्माण प्रक्रियाओं को अपनाएंगे।

भारत में कार्बन ट्रेडिंग तंत्र

- **मंच**: भारतीय कार्बन मार्केट मंच।
- **निरीक्षण**: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE), विद्युत मंत्रालय।
- **प्रोत्साहन**:
  - स्वच्छ प्रौद्योगिकियों वाले उद्योग लाभ के लिए कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं और उसका व्यापार कर सकते हैं।
  - अन्य क्रेडिट खरीदकर धीरे-धीरे संक्रमण कर सकते हैं।

स्रोत: [Indian Express - Emission Intensity Targets]

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन(National Supercomputing Mission)

संदर्भ

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन ने अपने शुभारंभ के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के बारे में -

- **यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग(DST) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की एक संयुक्त पहल है।**
- **NSM को 2015 में लॉन्च किया गया था।**
- इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत की सुपरकंप्यूटिंग क्षमताओं को बढ़ाना और इसे इस क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाना है।
- **कार्यान्वयन एजेंसियां:**
    - उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC), पुणे
    - भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु
- **मिशन के प्रमुख पहलू:**
    - **सुपरकंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे का निर्माण:** मिशन का लक्ष्य देश भर में 70 से अधिक सुपरकंप्यूटिंग प्रणालियों का ग्रिड बनाना है।
    - **शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को जोड़ना:** ये सुपरकंप्यूटर राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (**NKN**) से जुड़े हैं, जिससे शोधकर्ताओं और संस्थानों को उन तक पहुँचने में मदद मिलती है।
    - **मानव संसाधन विकास:** उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
    - **स्वदेशी विकास**: भारत के भीतर सुपरकंप्यूटिंग घटकों का डिजाइन, विनिर्माण और विकास।

मिशन के अंतर्गत तैनात प्रमुख सुपरकंप्यूटर -

- **परम शिवाय (2019)** - आईआईटी बीएचयू, वाराणसी में स्थापित।
    - एनएसएम के तहत पहला स्वदेशी रूप से निर्मित सुपरकंप्यूटर।
- **परम प्रवेग (2022)** - आईआईएससी बेंगलुरु में स्थापित
    - पावर: 3.3 पेटाफ्लॉप्स।
    - भारत में सबसे बड़ा अकादमिक सुपरकंप्यूटर।
- **परम रुद्र (2024)** - सी-डैक पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित।
    - उपयोग: भौतिकी, पृथ्वी विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान।
    - निर्माण: "रुद्र" एचपीसी सर्वर (वैश्विक मानकों पर भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित सर्वर वर्ग)
- **त्रिनेत्र** - भारत का स्वदेशी एचपीसी नेटवर्क।
    - डेवलपर: सी-डैक।
    - उद्देश्य: सुपरकंप्यूटिंग नोड्स के बीच हाई-स्पीड डेटा ट्रांसफर।
- **ऐरावत** - एआई सुपरकंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।
    - शीर्ष 500 वैश्विक सुपरकंप्यूटरों में 75वें स्थान पर।

स्रोत: PIB - NSM

विश्व सैन्य व्यय के रुझान – 2024

संदर्भ

SIPRI की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार- 2024 में भारत का सैन्य व्यय, पाकिस्तान के व्यय का लगभग नौ गुना था।

वैश्विक सैन्य व्यय: मुख्य बिंदु

- **कुल वैश्विक सैन्य व्यय (2024):** $2,743 बिलियन
- **शीर्ष 5 देशों की हिस्सेदारी:** अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत।
  - वैश्विक व्यय का 60% हिस्सा।
  - **संयुक्त व्यय:** $1,635 बिलियन।
- **भारत का सैन्य व्यय - 2024:**
  - **वैश्विक रैंक** - 5वां
  - **विकास दर** - +1.6% (2023 की तुलना में)
  - **पाकिस्तान से तुलना** - पाकिस्तान के सैन्य व्यय का लगभग 9 गुना।

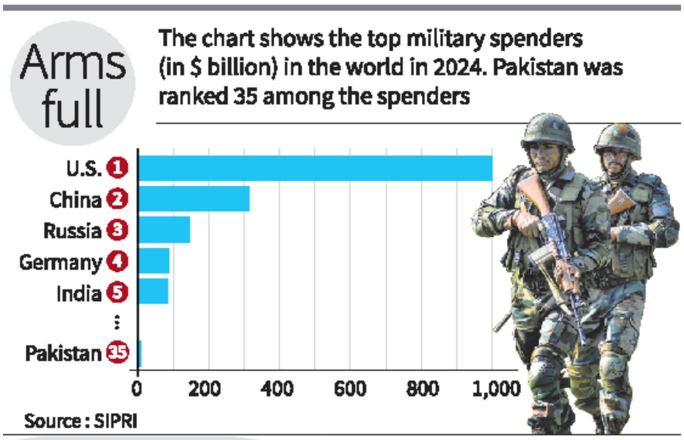

भारत का हथियार आयात -

- भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रूस बना रहा, किन्तु इसकी हिस्सेदारी घटकर 36% रह गई (2015-19 में 55% और 2010-14 में 72% थी)।
- 2020-24 में रूस और फ्रांस दोनों के लिए, भारत सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था।
- फ्रांस एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा, जिसमें भारत से फ्रांसीसी हथियार निर्यात का 28% हिस्सा था।
- **फ्रांस के साथ प्रमुख भारतीय हथियार सौदे:**
  - 36 राफेल लड़ाकू विमान
  - 6 स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियां
  - **आगामी सौदे:** 26 राफेल-M जेट और 3 अन्य पनडुब्बियां।

स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (SIPRI)

- यह एक विश्व स्तर पर प्रसिद्ध संस्थान है, जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण एवं निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए समर्पित है।
- इसकी **स्थापना 1966** में हुई थी। इसका **मुख्यालय स्टॉकहोम** में है।
- SIPRI अपनी वार्षिक पुस्तक में वैश्विक सुरक्षा मुद्दों, विशेष रूप से सैन्य व्यय एवं हथियारों के व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा तथा विश्लेषण प्रदान करता है।

स्रोत: The Hindu - SIPRI

समाचार संक्षेप में

SAARC वीज़ा छूट योजना

- पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीज़ा छूट योजना को निलंबित कर दिया है।

SAARC वीज़ा छूट योजना (SVES) के संदर्भ में -

- **SVES एक क्षेत्रीय यात्रा सुविधा तंत्र है, जो SAARC देशों के चुनिंदा व्यक्तियों को उनके गृह देश द्वारा जारी किए गए सार्क वीज़ा छूट स्टिकर का उपयोग करके, सदस्य देशों में वीज़ा-मुक्त यात्रा करने की अनुमति प्रदान करता है।**
- इसे **1992 में लॉन्च** किया गया था।
- इसका आरंभ दिसंबर 1988 में, इस्लामाबाद में आयोजित चौथे SAARC शिखर सम्मेलन से हुआ।
- **वैधता:** सामान्यतः एक वर्ष के लिए।
- **पात्र श्रेणियाँ:** यह 24 विशिष्ट श्रेणियों को कवर करती हैं, जैसे कि- गणमान्य व्यक्ति, न्यायाधीश, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी, पत्रकार, खिलाड़ी, व्यवसायी नेता आदि।
- **SAARC सदस्य देश:** भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव।

स्रोत: The Hindu - SAARC Visa Exemption Scheme

AI किरण पहल

- यह भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए, एक राष्ट्रीय आंदोलन है।
- इसका उद्देश्य एक जीवंत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जहां महिलाएं AI में लैंगिक असमानता को संबोधित करते हुए क्षेत्र में नवप्रवर्तक, परिवर्तनकर्ता तथा नेतृत्वकर्ता बन सकें।
- इस पहल का नेतृत्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA), वेरिक्स और INK वूमेन द्वारा किया जा रहा है।

स्रोत: NDTV - AI Kiran

AIM4NatuRe

- हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर AIM4NatuRe पहल प्रारंभ की।

AIM4NatuRe के संदर्भ में -

- **इसका अर्थ है- प्रकृति की पुनर्स्थापना के लिए अभिनव निगरानी को तीव्र करना।**
- यह एक अभिनव पहल है, जो प्रकृति पुनर्स्थापना को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी एवं डेटा का लाभ उठाएगी।
- यह FAO के मौजूदा AIM4Forests कार्यक्रम का पूरक होगा तथा प्रकृति पुनर्स्थापना की प्रगति पर एक वैश्विक डेटासेट के निर्माण को सक्षम करेगा।
- देशों को क्षमता निर्माण और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF) के लक्ष्य 2 की दिशा में अपनी प्रगति की निगरानी तथा रिपोर्ट करने के लिए, नवीनतम तकनीक का उपयोग करने हेतु समर्थन प्राप्त होगा।
- **लक्ष्य:** 2030 तक, कम से कम 30% खराब हो चुके पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करना।

FAO के संदर्भ में -

- **FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो भुखमरी को पराजित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करती है।**
- इसकी **स्थापना 1945 में** हुई थी। (**मुख्यालय- रोम**)

- FAO **के सहयोगी संगठन:** विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD)।
- **महत्वपूर्ण पहल:**
    - विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली (GIAHS)
    - खाद्य मानकों के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की देखरेख करना
    - खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाना (2001)।

स्रोत: FAO - AIM4NatuRe

बोनोबो और मादा प्रभुत्व

- एक हालिया अध्ययन के अनुसार, बोनोबो समाज में मादाओं का वर्चस्व है, जो स्तनधारियों में अत्यंत दुर्लभ है।

बोनोबो के संदर्भ में -

- **बोनोबो, जिन्हें पिग्मी चिम्पैंजी के नाम से भी जाना जाता है, महान कपि परिवार का हिस्सा हैं और ये अंतिम सदस्य थे, जिनकी खोज की गई थी।**
- पहले उन्हें चिम्पैंजी की उप-प्रजाति माना जाता था। 1933 में, उन्हें आधिकारिक तौर पर एक पृथक प्रजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई।
- **निकटतम संबंधी:** मनुष्य और चिम्पैंजी (मनुष्यों के साथ ~99% DNA साझा करते हैं)
- **भौगोलिक सीमा:** कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC), मध्य अफ्रीका के लिए स्थानिक।
- **सामाजिक संरचना:**
    - मातृसत्तात्मक समाज- मादा-नेतृत्व वाले समूह।
    - मादा गठबंधन नरों पर हावी होते हैं। सामाजिक बंधन के माध्यम से सहयोग तथा संघर्ष समाधान का उच्च स्तर।
    - तनाव से राहत, संबंध बनाने और संघर्ष को कम करने के लिए यौन व्यवहार का उपयोग।
- **IUCN स्थिति:** लुप्तप्राय।

स्रोत: Indian Express - Bonobos

संपादकीय सारांश

उपाध्यक्ष का पद प्रतीकात्मक या वैकल्पिक नहीं है

संदर्भ
18वीं लोकसभा में अभी तक उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया गया है।

समाचारों के बारें में और अधिक जानकारी -
- साथ ही, उपाध्यक्ष का पद 17वीं लोकसभा (2019-2024) के पूरे कार्यकाल में रिक्त रहा है।

उपाध्यक्ष के लिए संवैधानिक प्रावधान -
- **अनुच्छेद 93:** इसमें कहा गया है कि लोकसभा यथाशीघ्र दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी और जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है**,** तो सदन किसी अन्य सदस्य को चुनेगा।
- **अनुच्छेद 178:** इसमें किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का उल्लेख किया गया है।
- **अनुच्छेद 94:** अनुच्छेद **94** लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अवकाश/त्यागपत्र/हटाए जाने का प्रावधान करता है।
    - इसके तहत**,** यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं रह जाता है**,** तो वह अपना पद छोड़ देगा।
    - वे **एक दूसरे को त्यागपत्र भी दे** सकते हैं**,** या सदन के सभी उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित लोक सभा के प्रस्ताव द्वारा पद से हटाए जा सकते हैं।
    - अनुच्छेद **179** राज्य विधानसभाओं के लिए समान प्रावधानों का उल्लेख करता है।

उपाध्यक्ष के चुनाव के नियम -
- **परंपरा**: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में नए सदन के पहले सत्र के दौरान अध्यक्ष का चुनाव करने की परंपरा रही है।
    - **उपाध्यक्ष का चुनाव** आमतौर पर **दूसरे सत्र** में होता है।
        - वास्तविक और अपरिहार्य बाधाओं की अनुपस्थिति में इसमें आम तौर पर और देरी नहीं की जाती है।
        - **विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद देने की सामान्य परंपरा रही है** (10**वीं लोकसभा से)।**
- **नियम 8:** लोकसभा में प्रक्रिया और आचरण नियमों के नियम **8** में कहा गया है कि उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि को होगा।
    - सदन में उनके नाम का प्रस्ताव पारित होने के बाद उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।
- **अनिवार्य चुनाव**: अनुच्छेद **93** और **178** दोनों में "करेगा" शब्द का उपयोग किया गया है**,** जो दर्शाता है कि संविधान के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अनिवार्य है।
- **समय सीमा**: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए संविधान में किसी विशिष्ट समय सीमा नहीं का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में केवल इतना कहा गया है कि चुनाव शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए।
- **कार्यकाल**: एक बार निर्वाचित होने के बाद**, उपाध्यक्ष आमतौर पर सदन की पूरी अवधि के लिए पद पर बने रहते हैं।**

याद रखने योग्य बिंदु:
- जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं, तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन लोकसभा के ऐसे सदस्य द्वारा किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं।
    - इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर के रूप में जाना जाता है।

उपाध्यक्ष की शक्तियाँ और कार्य -

- **अनुच्छेद 95(1):** इसके अनुसार, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तो **उपाध्यक्ष द्वारा पद के कर्तव्यों का पालन किया जाएगा।**
- **अध्यक्ष के समान शक्तियाँ**: सामान्य तौर पर, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय **उपाध्यक्ष** के पास अध्यक्ष के समान शक्तियाँ होती हैं।
    - जब उपाध्यक्ष अध्यक्षता कर रहे होते हैं, नियमों में अध्यक्ष के सभी संदर्भों को उनके संदर्भ माना जाता है।
- **अध्यक्ष से स्वतंत्र**: उपाध्यक्ष, अध्यक्ष से स्वतंत्र होता है, उसके अधीनस्थ नहीं, क्योंकि दोनों सदन के सदस्यों में से चुने जाते हैं।
- **अपील**: यह माना जाता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या सदन की अध्यक्षता करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अध्यक्ष के समक्ष कोई अपील नहीं की जा सकती।
- **निरंतरता सुनिश्चित करता है**: जब अध्यक्ष की मृत्यु या त्यागपत्र के कारण पद रिक्त हो जाता है, तो उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करके अध्यक्ष के पद की निरंतरता सुनिश्चित करता है।
- **अध्यक्ष को हटाने की चर्चा के दौरान अध्यक्षता करना**: जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव चर्चा के लिए आता है, तो संविधान में निर्दिष्ट किया गया है कि उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगे।
- **विशेष विशेषाधिकार**: उपाध्यक्ष के रूप में उनके विशेष विशेषाधिकारों में से एक यह है कि जब उन्हें संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वे स्वतः ही उसके अध्यक्ष बन जाते हैं।

क्या उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी के मामले में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं?

- **2021** में, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी **अनुच्छेद 93 का उल्लंघन** है।
- हालाँकि, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि **न्यायालय ने विधायिका को उपाध्यक्ष का चुनाव करने के लिए बाध्य किया हो।**
- न्यायालय आमतौर पर संसद के प्रक्रियात्मक आचरण में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।
- अनुच्छेद **122(1)** के अनुसार, संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी।
- हालाँकि, न्यायालयों के पास कम से कम यह जाँच करने का अधिकार है कि उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि संविधान में "शीघ्रातिशीघ्र" चुनाव की परिकल्पना की गई है।

विधायी सुधार की आवश्यकता: उपाध्यक्ष का चुनाव

- **लोकतांत्रिक मानदंडों को कमजोर करना**: लगातार रिक्तियां संविधान की भावना का उल्लंघन करती हैं और संसदीय जांच और संतुलन को कमजोर करती हैं, विशेषकर अध्यक्ष की अनुपस्थिति में।
- **समयबद्ध तंत्र की आवश्यकता**: एक अनिवार्य समय सीमा, जैसे कि नई लोकसभा की पहली **बैठक के** 60 **दिनों के भीतर,** शीघ्र चुनाव सुनिश्चित करेगी और विधायी अखंडता को बनाए रखेगी।
- **वैधानिक या संवैधानिक मार्ग**: सुधार निम्नलिखित के माध्यम से लाए जा सकते हैं:
    - **अनुच्छेद** 93 **को समयबद्ध बनाने के लिए** संवैधानिक संशोधन, या
    - राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री या अध्यक्ष की सलाह पर प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम बनाने वाला वैधानिक कानून।
- **संवैधानिक नैतिकता को मजबूत करना**: समय पर चुनाव संसद की **नियम-आधारित शासन** के प्रति प्रतिबद्धता की परीक्षा है। इसे अनदेखा करना संस्थागत अखंडता पर खराब प्रभाव डालता है।

स्रोत: [The Hindu: The post of Deputy Speaker is not symbolic or optional]

भारत का शहरी भविष्य एक चौराहे पर है

संदर्भ
जैसे-जैसे गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, भारतीय शहर पानी की कमी, बिजली की बढ़ती मांग और तापमान से जूझ रहे हैं।

भारत में शहरीकरण की चुनौतियाँ -
- **जलवायु संवेदनशीलता और संसाधन तनाव:** बढ़ता तापमान और जल की कमी, जैसा कि बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में देखा गया है, खराब जलवायु लचीलेपन का संकेत देते हैं।
  - बिजली की अधिक मांग के कारण, विशेषकर गर्मी के दौरान, बिजली कटौती होती है।
- **पर्यावरणीय गिरावट:** शहरीकरण प्रदूषण, भीड़भाड़ और शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभावों को बढ़ाने में योगदान देता है।
  - खराब अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय नियोजन के कारण अक्सर स्थिरता से समझौता हो जाता है।
- **समावेशी विकास का अभाव**: शहरी विकास अक्सर गरीबों को बाहर कर देता है; शहर के लगभग एक तिहाई निवासी गरीब हैं, फिर भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों में शहरी गरीबी को कम करके आंका गया है।
  - जयपुर जैसे शहर कमजोर सामाजिक और आर्थिक भागीदारी तंत्र के कारण समावेशिता के मामले में निचले पायदान पर हैं।
- **आपदा एवं जलवायु लचीलेपन में कमी:** कुछ ही शहरों के पास आधिकारिक लचीलापन या स्थिरता योजनाएं हैं; आपदा तैयारी कमजोर बनी हुई है।
  - आंकड़ों और नियोजन में अंतराल जलवायु झटकों पर प्रभावी प्रतिक्रिया में बाधा डालते हैं।
- **कमजोर शहरी शासन और डेटा की कमी:** शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्तर पर वास्तविक समय और विस्तृत डेटा की कमी साक्ष्य-आधारित योजना को बाधित करती है।
  - मौजूदा सूचकांक (जैसे, नीति आयोग का एसडीजी-11 ढांचा) में गहराई का अभाव है और वे जमीनी हकीकत को प्रतिबिंबित करने में विफल हैं।
- **सुरक्षा और संरक्षा संबंधी चिंताएं:** शहरी सुरक्षा असमान है - जबकि बेंगलुरु उच्च स्थान पर है, कोलकाता जैसे शहर कमजोर अपराध रोकथाम तंत्र के कारण पीछे हैं।

क्या किया जाने की जरूरत है?
- **एसडीजी-11 के लिए मजबूत शहर-स्तरीय सूचकांक विकसित करना:** सीमित संकेतकों से आगे बढ़ना और शहर के मूल्यांकन में जलवायु लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता और सुरक्षा को शामिल करना।
  - वस्तुनिष्ठ सूचकांक निर्माण के लिए शैनन एन्ट्रॉपी वेटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करना।
- **शहरी स्थानीय शासन को मजबूत बनाना:** स्मार्ट सिटी आईसीसीसी से वास्तविक समय के डेटा का उपयोग करके एसडीजी प्रगति को ट्रैक करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना।
  - शहर-विशिष्ट रणनीतियों के साथ योजना का विकेन्द्रीकरण करना।
- **शहरी गरीबी के आंकड़ों को नियमित रूप से अद्यतन करना:** गरीबी और असमानता को सटीक रूप से मापने और संबोधित करने के लिए समय-समय पर शहरी निर्धन जीवन स्तर सर्वेक्षण आयोजित करना।
- **पर्यावरण और जलवायु नियोजन पर ध्यान केंद्रित करना:** शहर-स्तरीय लचीलापन और स्थिरता योजनाओं को लागू करना।
  - आपदा तैयारी, अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन के लिए नीतियों का क्रियान्वयन और निगरानी की जाए।
- **शहरी सुरक्षा अवसंरचना को बढ़ावा देना:** शहरी पुलिस व्यवस्था, निगरानी और अपराध रोकथाम में निवेश करें, विशेष रूप से उन शहरों में जो सुरक्षा मानकों पर पिछड़े हुए हैं।

- **समतामूलक एवं समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना:** ऐसी शहरी नीतियां तैयार करना जो किफायती आवास, समावेशी गतिशीलता और सभी के लिए बुनियादी सेवाओं तक पहुंच को प्राथमिकता देना।

स्रोत: **The Hindu: India's urban future is at a crossroads**

विस्तृत कवरेज

प्रेस की स्वतंत्रता

संदर्भ

भारत में मीडिया की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानने वालों की संख्या उन लोगों से अधिक है जो मानते हैं कि मीडिया स्वतंत्र है।

पत्रकारों का महत्व -

- **आवाज़हीनों के लिए आवाज़:** पत्रकार हाशिए पर पड़े और स्थानीय समुदायों की "अनदेखी और अनसुनी" कहानियों को प्रकाश में लाते हैं।
  - वे वंचना, पीड़ा और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं तथा वंचितों के संघर्षों को एक मंच प्रदान करते हैं।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** खोजी पत्रकारिता विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और कदाचार को उजागर करके जांच और संतुलन सुनिश्चित करती है।
  - लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करता है तथा शक्तिशाली संस्थाओं को जवाबदेह ठहराता है।
- **स्थानीय प्रासंगिकता और सामुदायिक प्रभाव:** जमीनी स्तर के पत्रकार स्थानीय मुद्दों, नागरिक समस्याओं और विकासात्मक चुनौतियों पर रिपोर्ट करते हैं, जिन्हें अक्सर मुख्यधारा के मीडिया द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है।
  - वे नीति निर्माताओं और जमीनी स्तर के लोगों के बीच की खाई को पाटते हैं।
- **क्षेत्रीय भाषा पत्रकारिता को सक्षम बनाना:** स्ट्रिंगर्स और रिटेनर्स क्षेत्रीय और स्थानीय मीडिया आउटलेट्स के लिए सामग्री उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे समाचार कवरेज में विविधता सुनिश्चित होती है।
- **स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से सशक्तिकरण:** सोशल मीडिया, यूट्यूब और डिजिटल समाचार साइटों जैसे स्वतंत्र प्लेटफॉर्म खोजी कहानियों को बढ़ावा देते हैं और व्यापक दर्शकों तक पहुंचते हैं।
  - ये प्लेटफॉर्म विज्ञापनदाताओं और राज्य गठबंधनों से प्रभावित मुख्यधारा के मीडिया की सीमाओं को दरकिनार करने में मदद करते हैं।
- **लोकतंत्र को मजबूत बनाना:** सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करके और जागरूक नागरिकों को बढ़ावा देकर, पत्रकार लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाते हैं।

भारत में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संस्थाएँ -

संवैधानिक और कानूनी ढांचा

- **संविधान**
  - **अनुच्छेद 19(1)(a):** भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जो प्रेस की स्वतंत्रता का आधार बनता है।
  - **अनुच्छेद 19(2):** संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता जैसे मुद्दों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।
- **न्यायपालिका:** न्यायालय कानूनों की व्याख्या करने और मनमाने प्रतिबंधों के विरुद्ध प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (1994) जैसे ऐतिहासिक मामले बिना किसी पूर्व प्रतिबंध के प्रकाशन के अधिकार की पुष्टि करते हैं।
- **संसद और राज्य विधानमंडल:** प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानून बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि कोई भी प्रतिबंध उचित और न्यायोचित हो।

सरकारी और नियामक निकाय

- **भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई):** प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय।
  - प्रेस नैतिकता को बढ़ावा देना, अनुचित हस्तक्षेप को रोकना, तथा प्रेस स्वतंत्रता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करना।
  - यह केवल प्रिंट मीडिया तक सीमित है तथा इसकी सिफारिशें परामर्शात्मक हैं, लागू करने योग्य नहीं हैं।
- **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (आई एंड बी मंत्रालय):** टेलीविजन और रेडियो सहित प्रसारण मीडिया को विनियमित करता है।
  - सामग्री मानकों का पालन सुनिश्चित करना और चैनलों के लिए लाइसेंसिंग की देखरेख करना।
- **साइबर अपराध प्रकोष्ठ:** पत्रकारों को ऑनलाइन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से बचाते हैं, जो डिजिटल पत्रकारिता में आम खतरे बन गए हैं।

कानून प्रवर्तन और निगरानी निकाय

- **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी):** उन मामलों को देखता है जहां पत्रकारों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तथा राज्य की ज्यादतियों के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी):** पत्रकारों के विरुद्ध स्थानीय उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए राज्य स्तर पर कार्य करता है।
- **कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ:** पुलिस और जांच एजेंसियों को पत्रकारों की सुरक्षा और उनके विरुद्ध अपराधों की जांच करने का काम सौंपा गया है, जिसमें धमकियां और हमले भी शामिल हैं।

नागरिक समाज

- **मीडिया एसोसिएशन**: एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, इंडियन विमेंस प्रेस कॉर्प्स जैसे संगठन तथा अन्य संगठन प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं तथा पत्रकारों पर खतरों के बारे में चिंता जताते हैं।
- **नागरिक समाज समूह**: पत्रकारों की सुरक्षा के लिए समिति (सीपीजे) और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे समूह प्रेस स्वतंत्रता के उल्लंघन की निगरानी करते हैं और उत्पीड़न के मामलों को वैश्विक स्तर पर उजागर करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाएँ

- **यूनेस्को:** वैश्विक अभियानों और दिशानिर्देशों के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है।
  - **जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।**
- **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी):** विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन पर नज़र रखती है और सरकारों पर पत्रकारिता के अधिकारों को बनाए रखने के लिए दबाव डालती है।
- **वैश्विक सूचकांक निगरानी: रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स** विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित करता है, जिसमें भारत के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है और सुधार के क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जाता है।

पत्रकारों के समक्ष चुनौतियां या खतरे -

- **शारीरिक धमकियाँ और हिंसा:** पत्रकारों को धमकियों, हमलों और यहां तक कि हत्या का भी सामना करना पड़ता है, जैसा कि मुकेश चंद्राकर और उमेश डोभाल के मामलों में देखा गया है।
    - उन्हें राजनेताओं, ठेकेदारों और अपराधियों के गठजोड़ को उजागर करने के लिए निशाना बनाया जाता है।
- **प्रेस की स्वतंत्रता पर कम जोर:** केवल 68% भारतीयों (प्यू रिसर्च सेंटर के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार) ने कहा कि मीडिया के लिए सरकारी सेंसरशिप के बिना काम करना महत्वपूर्ण है - जो 35 देशों में दूसरा सबसे कम है।
    - इससे यह संकेत मिलता है कि गलत सूचना के व्यवस्थित समाधान के रूप में स्वतंत्र पत्रकारिता की सार्वजनिक मांग अपेक्षाकृत कम है।

Number of journalists attacked in India between 1992 and 2022

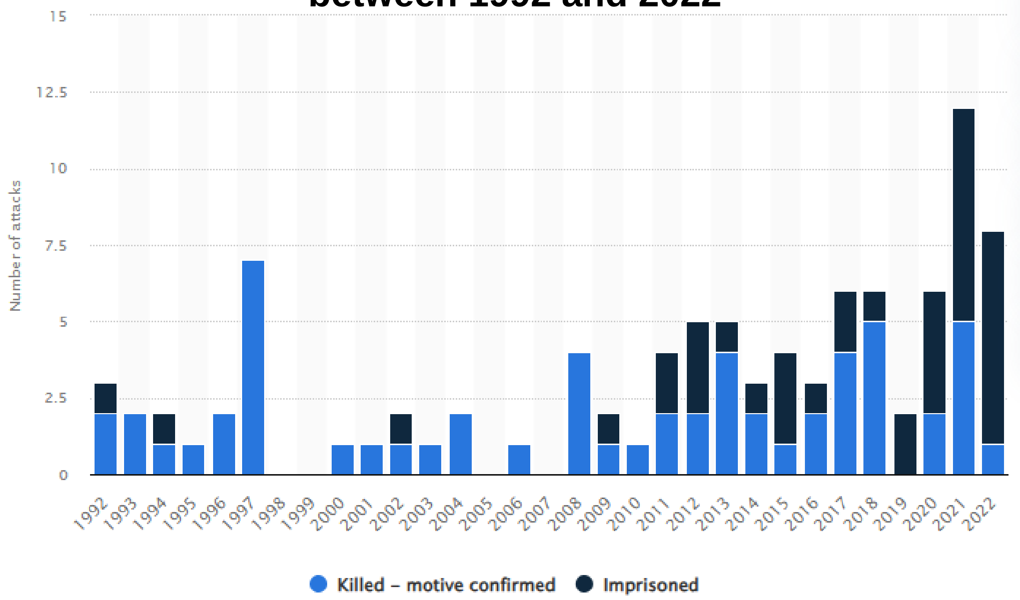

- **कमजोर कानूनी सुरक्षा:** छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों के बावजूद, इनका प्रवर्तन खराब है, जिससे पत्रकारों की स्थिति असुरक्षित बनी हुई है।
    - पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा को रोकने में कानूनी तंत्र प्रायः असफल रहते हैं।
- **अनिश्चित कार्य स्थितियां:** कई पत्रकार बिना नौकरी की सुरक्षा के काम करते हैं, उन्हें अल्प वेतन मिलता है, तथा उन्हें प्रतिकूल कार्य वातावरण का सामना करना पड़ता है।
    - संस्थागत समर्थन का अभाव उन्हें धमकी का आसान लक्ष्य बनाता है।
- **राजनीतिक और आर्थिक दबाव:** मीडिया घरानों को विज्ञापनदाताओं, स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकारों से दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए जगह कम हो जाती है।
    - इन प्रभावों के कारण पत्रकारों को अक्सर आत्म-सेंसरशिप के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- **ऑनलाइन उत्पीड़न और निगरानी:** डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले स्वतंत्र पत्रकारों को ट्रोलिंग, दुर्व्यवहार और कभी-कभी डिजिटल निगरानी का सामना करना पड़ता है।
    - इससे उनका शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ जाता है।
- **हमलावरों के लिए दंड से मुक्ति:** पत्रकारों पर हमला करने वालों को प्रायः दंडित नहीं किया जाता, जिससे भय की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और खोजी रिपोर्टिंग हतोत्साहित होती है।
- **मान्यता और समर्थन का अभाव:** जमीनी स्तर के पत्रकारों को उनके योगदान के लिए शायद ही कभी श्रेय मिलता है, जिससे वे अलग-थलग और कमतर महसूस करते हैं।

- **प्रेस की स्वतंत्रता में गिरावट:** राज्य के बढ़ते नियंत्रण और मीडिया का निहित स्वार्थों के साथ जुड़ाव पत्रकारिता की स्वतंत्रता को कमजोर करता है।
    - उदाहरण के लिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से 159वें स्थान पर है।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्जीवित करने की रणनीतियाँ -

- **विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों को लागू करना:** न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (2012), भारतीय प्रेस परिषद और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाओं के सुझावों को अपनाना।
    - फोकस क्षेत्रों में पत्रकारों के लिए नैतिकता प्रशिक्षण, संस्थागत पारदर्शिता और संवैधानिक प्रेस स्वतंत्रता के लिए कानूनी सुरक्षा शामिल हैं।
- **कानूनी ढांचे को मजबूत करना:** जबकि अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, पत्रकारों को उत्पीड़न, धमकियों और हिंसा से बचाने के लिए अतिरिक्त कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता है।
    - सर्वोच्च न्यायालय (2017) ने इस बात पर बल दिया कि सत्य और लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **स्वतंत्र मीडिया नियामक निकायों की स्थापना:** मीडिया प्रथाओं की देखरेख के लिए स्वायत्त और निष्पक्ष नियामक प्राधिकरण बनाएं।
    - पारदर्शी नियुक्तियाँ, पर्याप्त धनराशि तथा उनके कामकाज में जनता का विश्वास सुनिश्चित करना।
- **पत्रकारों और व्हिसलब्लोअर्स के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना: व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014** जैसे सुरक्षा कानूनों को मजबूत करें , विशेष रूप से संवेदनशील या विवादास्पद मामलों की रिपोर्टिंग करने वालों के लिए।
    - कानूनी और संस्थागत सुरक्षा उपायों के माध्यम से निडर खोजी पत्रकारिता को प्रोत्साहित कर**ना**।
- **ऑनलाइन खतरों और गलत सूचना का मुकाबला करना:** साइबर धमकी, ऑनलाइन दुर्व्यवहार और फर्जी खबरों से निपटें, विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफार्मों पर।
    - एनबीडीए की 2022 पहल इस दिशा में एक कदम है, जो पत्रकारों – विशेषकर महिलाओं – को ऑनलाइन उत्पीड़न से बचाने पर केंद्रित है।
- **मीडिया साक्षरता और नैतिकता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना:** मीडिया नैतिकता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए पत्रकारों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना।
    - पारदर्शी मीडिया प्रथाओं के माध्यम से नैतिक रिपोर्टिंग और सार्वजनिक विश्वास को प्रोत्साहित करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना:** सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के लिए वैश्विक संस्थाओं के साथ सहयोग करना।
    - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम (आईपीडीसी) जैसे मंचों में सक्रिय रूप से भाग लें।

स्रोत: **The Hindu: Indians fear fake news but are less concerned about press freedom**